उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल
माननीय न्यायाधीश श्री आलोक कुमार वर्मा,
23 फरवरी, 2022

फौजदारी अपील संख्या–37/2006

बलभद्र सिंह व अन्य

..... **अपीलार्थी**

बनाम

उत्तराखण्ड राज्य

..... **प्रतिवादी**

अपीलार्थी के अधिवक्ता :– श्री पंकज पुरोहित
राज्य/प्रतिवादी के अधिवक्ता :– श्री एस0एस0अधिकारी, विद्वान उपमहाधिवक्ता

माननीय आलोक कुमार वर्मा, जे.

वर्तमान अपील अपीलार्थी/अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा जिला और सत्र न्यायाधीश, रूद्रप्रयाग के निर्णय दिनांक 21.03.2006 के विरूद्ध दायर की गई है, जिसे जिला और सत्र न्यायाधीश, रूद्रप्रयाग द्वारा सत्र परीक्षण संख्या–05/2005 ''राज्य बनाम बलभद्र सिंह और अन्य'' में अपीलार्थी बलभद्र सिंह और श्रीमती शशि देवी को भारतीय दंड संहिता की धारा–304'बी' एवं 498'ए' के तहत दोषी ठहराया गया है और भारतीय दंड संहिता की धारा–304'बी' के तहत दंडनीय अपराध में प्रत्येक को सात साल की अवधि के लिए कठोर कारावास और 498'ए' के तहत प्रत्येक को एक साल की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा तथा प्रत्येक धारा में मु0 500/–रुपये जुर्माने से दण्डित किया गया है। जुर्माना न देने पर अपीलार्थियों को एक महीने के साधारण कारावास के गुजरना होगा। दोनों सजायें साथ–साथ चलेंगी।

2. संक्षेप में अभियोजन पक्ष की कहानी, जैसा कि अभिलेख पर साक्ष्य की पुनः जांच से सामने आती है, यह है कि अपीलार्थी बलभ्रद सिंह मृतका श्रीमती सुमति देवी के ससुर और अपीलार्थी श्रीमती शशि देवी मृतका श्रीमती सुमति देवी की सास थी। श्रीमती सुमति देवी की शादी अक्टूबर, 2003 में राकेश सिंह से हुई थी। शादी के बाद अपीलार्थी–आरोपी व्यक्तियों ने उसे मु0 50,000/–रुपये की मांग के लिए परेशान करना शुरू कर दिया। दिनांक 07.01.2005 को लगभग

क्रमशः.....

01:00 बजे, गांव गडमिल निवासी एक व्यक्ति ने आकर मृतक के पिता दयाल सिंह (पी0डब्ल्यू0–1) और इस मामले के सूचनादाता, मृतक की मां पीतांबरी देवी (पी0डब्ल्यू0–2) और सूचनादाता के भाई सार्दुल सिंह (पी0डब्ल्यू0–3) को सूचित किया कि श्रीमती सुमति देवी 06.01.2005 की शाम से लापता थी। अपीलार्थी भी उसी गांव गडमिल में रह रहे थे। जब श्रीमती सुमति देवी के लापता होने की सूचना मिली उस समय सूचनादाता दयाल सिंह (पी0डब्ल्यू0–1) मसूरी में था। सूचनादाता के भाई ने सूचनादाता को दूरभाष के माध्यम से सूचना दी। उसी दिन शाम करीब 04:00 बजे वे अपने गांव के कुछ अन्य लोगों के साथ अपीलार्थियों के घर पहुंचे। उन्हें देखकर आरोपी व्यक्तियों ने गाली–गलौज शुरू कर और उन्हें शराब पीने को कहा तथा श्रीमती सुमति देवी को भूल जाने को कहा। इसके बाद वे अपने घर लौट आये। अभियुक्त बलभद्र सिंह के भाई ने संबंधित पटवारी को सूचित किया कि श्रीमती सुमति देवी लापता थी। दिनांक 28.01.2005 को लगभग 01:00 बजे, उन्हें दूरभाष से संदेश मिला कि एक अज्ञात व्यक्ति का शव अलकनंदा नदी के तट पर पड़ा है। वे वहां गए और पाया कि शव श्रीमती सुमति देवी का था। संबंधित पटवारी ने मौके पर आकर जांच रिपोर्ट (प्रदर्श–9) तैयार की। मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया गया। मृतका के शव का पोस्टमार्टम डॉ0 ए0के0रस्तोगी (पी0डब्ल्यू0–6) द्वारा दिनांक 29.01.2005 को किया गया।

3. मृतका के पति सहित सात व्यक्तियों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श–क–2) दर्ज की गई। मामले की विवेचना की गई और विवेचना पूरी होने के बाद, आरोप–पत्र (प्रदर्श–क–14) केवल अपीलार्थी–अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ दायर किया गया।

4. यह मामला सेंशन न्यायालय को सुपुर्द किया गया। अपीलार्थी–अभियुक्त व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा–304'बी' और 498'ए' के तहत आरोप विरचित किए गए। उन्होंने दोषी न होने का अभिवाक किया और विचारण का अनुरोध किया।

5. अभियोजन पक्ष द्वारा आरोप साबित करने के लिए कुल आठ गवाहों को परीक्षित कराया गया।

6. अपीलार्थियों से भारतीय दंड संहिता, 1973 की धारा–313 के तहत परीक्षित किया गया।

7. विद्वान विचारण न्यायालय ने बहस सुनी, साक्ष्यों का अवलोकन किया और यह अभिनिर्धारित

क्रमशः.....

किया कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तों के विरूद्ध अपने मामले को युक्ति–युक्त संदेहों से परे साबित करने में सफल रहा।

8. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज पुरोहित और राज्य के विद्वान उप–महाधिवक्ता श्री एस0एस0 अधिकारी को सुना।

9. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज पुरोहित ने कथन किया कि अपीलकर्ताओं को झूठा फंसाया गया है। मृतका श्रीमती सुमति देवी दिनांक 06.01.2005 की शाम से अपने घर से लापता पाई गई और इस आशय की सूचना अपीलकर्ता बलभद्र सिंह के भाई द्वारा संबंधित पटवारी को दी गई और मृतका के माता–पिता को सूचना भेजी गई। दोनों परिवारों ने मृतका की खोज शुरू की, लेकिन वे असफल रहे। दिनांक 10.01.2005 को मृतका के पिता द्वारा एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी की हत्या के लिए अपीलकर्ता के परिवार के सदस्यों पर संदेह व्यक्त किया। उक्त प्राथमिकी में कथन किया गया कि मृतका के पति सहित परिवार के सभी सात सदस्य दहेज की मांग के संबंध में मृतका को परेशान करते थे और दहेज में मु0 50,000/–रुपये लाने के लिये श्रीमती सुमति देवी को जान से मारने की धमकी देते थे। विवेचना के पश्चात् केवल अपीलकर्ताओं के विरूद्ध आरोप पत्र दायर किया गया और जो इस तथ्य के झूठे निहितार्थ के सिद्वान्त की पुष्टि करता है। अपीलकर्ताओं द्वारा दहेज की मांग और दहेज की मांग के संबंध में मृतका के उत्पीड़न के संबंध में पत्रावली पर कोई निर्णायक और ठोस सबूत नहीं हैं। पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि मृतका कि मृत्यु के कुछ समय पूर्व दहेज की मांग के संबंध में उत्पीड़न किया गया था। हालांकि, संदेह साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकता है। मृतका का शव अपीलार्थियों के गांव से 03 से 05 किलोमीटर की दूरी से बरामद किया गया था। डॉक्टर की राय में, मृतका के शरीर पर आई चोटें, एक अचानक गिरने के कारण से आ सकती हैं। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गलत अवलोकन किया।

10. दूसरी ओर, राज्य की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने उक्त निर्णय का समर्थन किया है।

11. मैंने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया है।

12. पी0डब्ल्यू0–1 दयाल सिंह, मृतका के पिता और प्रथम सूचना रिपोर्ट के सूचनादाता ने बयान दिया है कि इस घटना से दो साल पहले उनकी बेटी श्रीमती सुमति देवी की शादी राकेश सिंह से

हुई थी। उसे कई बार दहेज की मांग के संबंध में उसके पति और अपीलार्थियों द्वारा क्रूरता और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। श्रीमती सुमति देवी ने उन्हें कई बार बताया था, हालांकि उसने हमेशा मामले को निपटाने की कोशिश की। उसने कहा कि घटना की तारीख के एक महीने पहले, उसकी बेटी उसके घर आई और उसे बताया कि आरोपी व्यक्ति दहेज के रूप में मु0 50,000/–रुपयों की मांग कर रहे थे और वे उसे लगातार परेशान कर रहे थे। उन्होंने और उनकी पत्नी ने उन्हें दिलासा दिया। वह ससुराल लौट गई। दिनांक 07.01.2005 को उसे टेलीफोन पर सूचित किया गया कि उसकी बेटी लापता है। वह दिनांक 08.01.2005 को मसूरी से वापस आया। उसने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–156(3) के तहत दायर अपने प्रार्थना–पत्र को (प्रदर्श–क–1) के रूप में साबित किया है।

13. पी0डब्ल्यू0–2 श्रीमती पीतांबरी देवी, मृतका की मां, ने बयान दिया कि कई बार दहेज की मांग के संबंध में मृतका के पति और दोनों अपीलार्थियों द्वारा उसकी बेटी के साथ क्रूरता और उत्पीड़न किया गया था। उसने कहा कि उसकी बेटी उसके घर आई और उसे बताया कि आरोपी व्यक्तियों ने दहेज के रूप में मु0 50,000/–रुपये की मांग की। उसने उसे दिलासा दिया। दिनांक 07.01.2005 को उसे सूचित किया गया कि उनकी बेटी लापता है। उसका पति उस दिन मसूरी में था।

14. सूचनादाता के बड़े भाई सार्दूल सिंह, पी0डब्ल्यू0–3, ने गवाही दी कि आरोपी व्यक्ति दहेज की मांग कर रहे थे और मृतक को परेशान और प्रताड़ित कर रहे थे।

15. मृतका के भाई, पी0डब्ल्यू0–4, जसबीर सिंह ने कहा कि अपीलकर्ता बलभद्र सिंह ने उसके पिता को धमकी दी थी कि अगर उसे मु0 50,000/–रुपये नहीं मिले तो यह अच्छा नहीं होगा। उसने बताया कि वह अपनी बहन के ससुराल जाता था, वहां उसके ससुर और सास दहेज की मांग करते थे।

16. पी0डब्ल्यू0–5 प्रेम सिंह पटवारी, प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श–क–2) लेखक हैं।

17. पी0डब्ल्यू0–6 डॉ0 ए0के0रस्तोगी ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया और उसके शरीर पर मृत्युपूर्व निम्न चोटें पाईं गईं:–

(1) माथे पर बांई और दबा हुआ घाव, माप 6X3 सेमी, होमेटोमा था।

क्रमशः.....

(2) सिर की सामने की हड्डी टूट गई थी। खोपड़ी को खोलने पर, मस्तिष्क के पूर्व भाग पर होमेटोमा था।

दांहिना फेफड़ा भरा हुआ था। पित्ताशय की थैली भरी हुई थी। स्पलीन भरा हुआ था। किडनी भरी हुई थी। पेट में बिना पचा हुआ भोजन पाया गया। दोनों आंखे बंद थी। मस्तिष्क सिकुड़ा हुआ था। स्काल्प पर मृत्यु से पूर्व के घाव पाए गए और खोपड़ी टूट गई थी। झिल्ली भरी हुई थी। मृतक श्रीमती सुमति देवी की आयु 21 साल थी। मुख गुहा और ग्रसनी में सूजन थी।

अपनी जिरह में, डॉक्टर ने कहा कि उक्त चोटें पत्थरों पर दुर्घटनावश गिरने से आ सकती थी।

18. पी0डब्ल्यू0–7 नंदू दास, पटवारी ने नक्शा–नजरी (प्रदर्श–क–7) तैयार किया गया, जहां मृतक का शव मिला था। उन्होंने मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श–क–9) भी साबित की है।

19. पी0डब्ल्यू0–8 द्वारका प्रसाद भट्ट, नायब तहसीलदार ने आरोप–पत्र (प्रदर्श–क–14) प्रस्तुत किया था।

20. भारतीय दंड संहिता की धारा–304'बी' प्रावधानित करती है कि जहां किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के किसी नातेदार ने, दहेज की मांग के लिए, या उसके संबंध में, उसके साथ क्रूरता की थी, या उसे तंग किया था, वहां ऐसी मृत्यु को ''दहेज मृत्यु'' कहा जाएगा, और ऐसा पति या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा।

21. दहेज मृत्यु के लिए निम्न तत्व हैं:–

(i) वह एक विवाहित स्त्री है;

(ii) उसकी मृत्यु सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा किसी दाह या शारीरिक क्षति अथवा जहर आदि से हो जाती है;

(iii) ऐसी मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर हुई हो;

(iv) यह पाया गया कि उसकी मृत्यु से कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के किसी

नातेदार ने, दहेज की मांग के लिए, या उसके संबंध में उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था।

22. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा–113ख के उपबंध न्यायालय को उसमें उल्लिखित परिस्थितियों के प्रमाण पर दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा का आदेश देते हैं। निम्नलिखित अवयवों के प्रमाण पर ही उपधारणा की जायेगी–

(i) अदालत के समक्ष यह प्रश्न होना चाहिए कि क्या अभियुक्त ने किसी स्त्री की दहेज मृत्यु कारित की है;

(ii) स्त्री के पति अथवा उसके नातेदारों द्वारा स्त्री को क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा;

(iii) ऐसी क्रूरता अथवा उत्पीड़न दहेज अथवा दहेज की मांग के संबंध में की गई हो;

(iv) ऐसी क्रूरता अथवा उत्पीड़न उसकी मृत्यु से कुछ पूर्व हुआ था।

23. संदीप कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्यए 2020 एससीसी ऑनलाईन एससी 980 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 02.12.2020 को यह निर्णय लिया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा–304'बी' के तहत अपराध के तत्व अच्छी तरह से व्यवस्थित हैं। मृत्यु स्त्री के विवाह के सात वर्ष के भीतर हुई हो। मृत्यु अप्राकृतिक होनी चाहिए। मृत्यु के कुछ समय पूर्व, मृतक को दहेज की मांग के कारण क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा होगा। इसे दहेज मृत्यु के रूप में वर्णित किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा–113ख अभियोजन के बचाव में यह उपधारणा का प्रावधान करती है कि एक व्यक्ति ने दहेज मृत्यु को कारित किया है और यह दर्शित किया गया है कि मृत्यु से ठीक पूर्व, वह ऐसे व्यक्ति द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न के लिए दहेज की मांग के लिए, उसके अधीन थी।

24. दयाल सिंह, (पी0डब्ल्यू0–1) ने अपनी जिरह में कहा कि वह घटना के समय साईकिल रिक्शा चला रहा था और अपीलकर्ता बलभद्र सिंह को पता था कि वह साईकिल रिक्शा चलाता है। अपीलकर्ता बलभद्र सिंह जानता था कि वह (दयाल सिंह) दहेज देने की स्थिति में नहीं था, उसके बाद भी वह (बलभद्र सिंह) शादी के लिए तैयार था। दयाल सिंह (पी0डब्ल्यू0–1) ने अपनी जिरह में आगे कहा कि शादी के बाद, उन्होंने (बलभद्र सिंह) एक टीवी और सीडी प्लेयर खरीदा और मृतका

क्रमशः.....

को उसके मनोरंजन के लिए दिया। उन्होंने कहा कि घटना से एक महीने पहले जब मृतका उनके घर आई थी, तो वह घर पर था। लेकिन, उन्होंने दहेज उत्पीड़न की कोई शिकायत नहीं की। सूचनादाता दयाल सिंह (पी0डब्ल्यू0–1) के भाई, सार्दूल सिंह (पी0डब्ल्यू0–3) ने अपनी जिरह में कहा कि जब भी वह मृतका के घर जाते थे, तो उनका पूरा आतिथ्य किया जाता था। जसबीर सिंह (पी0डब्ल्यू0–4) ने अपनी जिरह में कहा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–161 के तहत दिए गए उनके पहले के बयानों में उनके द्वारा दिए गए बयान नहीं हैं। इसलिए, जहां तक दहेज की मांग का संबंध है, इस न्यायालय का मत है कि यह उपधारणा करने का कोई अवसर नहीं है कि मृतका को दहेज की किसी मांग के संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा था।

25. यह निर्विवादित है कि मृतका की मृत्यु सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा और शादी के सात वर्ष के भीतर हुई थीा। जिस तथ्य का पता लगाया जाना है, वह यह है कि क्या मृतक को दहेज की मांग के संबंध में उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले क्रूरता का शिकार होना पड़ा था। पी0डब्ल्यू0–1 दयाल सिंह, पिता और पी0डब्ल्यू0–3 सार्दूल सिंह, मृतका के भाई के साक्ष्य ने स्पष्ट संकेत दिया था कि घटना की दिनांक से तुरंत पहले मृतका पर कोई क्रूरता नहीं की गई थी। पी0डब्ल्यू0–1 दयाल सिंह, मृतका के पिता, ने एक महीने पहले हुई एक घटना का उल्लेख किया जब वह अपने माता–पिता के घर गई थी, लेकिन, अभियोजन पक्ष द्वारा कोई आरोप नहीं लगाया गया है कि उस समय अर्थात एक महीने के अंतर्गत, के भीतर मृतका के खिलाफ कोई उत्पीड़न या क्रूरता हुई। इस प्रकार, इस न्यायालय के मत में, मृतका की मृत्यु से तुरंत पूर्व दहेज के संबंध में क्रूरता के अधीन होने के सभी आवश्यक तत्व अभियोजन पक्ष द्वारा युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित नहीं किये हैं।

26. पी0डब्ल्यू0–1 दयाल सिंह ने अपनी जिरह में बताया है कि दिनांक 06.01.2005 को मृतका गाय का गोबर खेत में डालने गई थी और वह वहां से घास काटने गई थी। अपीलकर्ताओं का कथन यह है कि घास काटते समय वह फिसल गई और पहाड़ी ढलान से गिर गई और इसलिये उसे केवल एक चोट लगी है और उस चोट के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। अपीलार्थियों के मामले की पुष्टि अभियोजन पक्ष द्वारा की गई है। अपीलकर्ताओं के मामले को गवाह डॉ0 ए0के0 रस्तोगी (पी0डब्ल्यू0–6) ने अपनी जिरह में पुष्ट किया है और कहा कि चोटें, जैसा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, पत्थरों पर दुर्घटनावश गिरने के कारण आ सकती थी। उन्होंने अपनी

क्रमशः.....

प्रतिपरीक्षा में आगे कहा कि संभवतः मुंह नीचे की ओर रखते हुए ऊंची जगह से गिरने के परिणामस्वरूप, चोट संख्या–1 का कारण हो सकती थी। इसलिए, इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मृतका पत्थरों पर ऊंचाई से नीचे गिर गई, जिसके कारण उसे गंभीर चोटें आईं और पोस्टमार्टम में गंभीर चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई।

27. मृतका की मृत्यु और दहेज संबंधी उत्पीड़न या उस पर की गई क्रूरता के बीच एक प्रत्यक्ष संबंध होना चाहिए। यह भी अच्छी तरह से स्थापित है कि यदि इस तरह के उत्पीड़न या क्रूरता को भड़काने और उसकी मृत्यु के बीच का अंतराल व्यापक था, तो न्यायालय यह अनुमान लगाने की स्थिति में होगा कि सभी संभावनाओं में मृत्यु, उसकी मृत्यु का तत्काल कारण नहीं होती।

28. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री एस0एस0अधिकारी ने कथन किया कि अपीलकर्ताओं ने मृतका को परेशान किया था और उन्होंने अपने क्रूर व्यवहार के कारण मृतका को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किया।

29. दुष्प्रेरण, उकसाना, आगे बढ़ने का आग्रह करना, भड़काना या ''एक कार्य'' करने के लिए प्रोत्साहित करना है। दुष्प्रेरण की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए, यह आवश्यक नहीं है कि उस प्रभाव के लिए वास्तविक शब्दों का उपयोग किया जाना चाहिए, फिर भी परिणाम को भड़काने के लिए एक उचित निश्चितता को स्पष्ट करने में सक्षम होना चाहिए।

30. दुष्प्रेरण में किसी व्यक्ति को उकसाने में या जानबूझकर किसी व्यक्ति को कुछ करने में सहायता करने की एक मानसिक प्रक्रिया शामिल है। आरोपी की ओर से दुष्प्रेरण के लिए एक सकारात्मक कार्य के बिना या आत्महत्या करने में सहायता के बिना, दोषसिद्धि नहीं किया जा सकता है। इसके लिए एक सक्रिय कार्य या प्रत्यक्ष कार्य की आवश्यकता होती है, जिसके कारण मृतक ने कोई विकल्प न देख, आत्महत्या कर ली और उस कार्य का उद्देश्य मृतक को ऐसी स्थिति में धकेलना था कि उसने आत्महत्या कर ली।

31. वर्तमान अपील में, ऐसा कोई सकारात्मक साक्ष्य नहीं है कि अपीलार्थियों ने अपने कृत्यों या चूक या निरंतर आचरण से ऐसी परिस्थितियां पैदा की थी कि मृतका के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था।

क्रमशः.....

32. भगवान सिंह और अन्य बनाम मध्यप्रदेश राज्य, (2002) 4 एस0सी0सी0 85 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवलोकन किया है कि आपराधिक मामले में न्याय प्रशासन के जाल के माध्यम से चलने वाला सुनहरा धागा यह है कि यदि मामले में प्रस्तुत किये गये साक्ष्य पर दो विचार संभव हैं, एक अभियुक्त के अपराध की ओर ईशारा करता है और दूसरा उसकी बेगुनाही का। वह दृष्टिकोण जो अभियुक्त के लिए अनुकूल है, अपनाया जाना चाहिए।

33. आपराधिक न्यायशास्त्र का यह भी एक बुनियादी नियम है कि संदेह, हालांकि कितना मजबूत हो, साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकता है। **सुजीत विश्वास बनाम असम राज्य, एआईआर 2013 एससी 3817** में, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया कि संदेह, चाहे वह कितना भी गंभीर क्यों न हो, साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकता है, और जो ''सिद्ध'' किया जा सकता है, और जो ''सिद्ध'' किया जायेगा, उसके बीच एक बड़ा अंतर है। आपराधिक मुकदमे में, संदेह चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकता है। यही कारण है कि ''हो सकता है'' और ''होना ही चाहिए'' के बीच की मानसिक अंतर काफी बड़ा है और कुछ निष्कर्षों से अस्पष्ट अनुमानों को विभाजित करती है। आपराधिक मामले में, अदालत का कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि केवल अनुमान या संदेह कानूनी साक्ष्य का स्थान न ले। ''सत्य हो सकता है'' और ''सत्य होना चाहिए'' के बीच के बड़े अंतर को अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत स्पष्ट, ठोस और निर्विवाद साक्ष्य के माध्यम से आच्छादित किया जाना चाहिए, इससे पहले कि आरोपी को दोषी के रूप में दोषी ठहराया जाये, मूल, बुनियादी और सही नियम लागू होना चाहिए।

34. आपराधिक मामले में, अभियोजन पक्ष पर यह साबित करने का भार होता है कि वह जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, वे पूरी तरह से साबित है। अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए केवल संदेह से कुछ अधिक की आवश्यकता होती है। अभियोजन पक्ष को युक्तियुक्त संदेह से परे यह साबित करना होगा कि मृतका को दहेज की किसी भी मांग के लिए या उसके संबंध में अपीलार्थियों द्वारा क्रूरता या परेशान किया गया था। दहेज मृत्यु की उपधारणा के लिए, यह एक पूर्व शर्त है कि दहेज की मांग के संबंध में निर्विवाद साक्ष्य होना चाहिए। लेकिन पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य अभियोजन पक्ष के कथानक का समर्थन नहीं करते हैं। इस मामले की परिस्थितियां अपीलकर्ताओं को कथित अपराध से जोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। भारतीय दंड संहिता की

क्रमशः.....

धारा–304'बी' एवं धारा–498'ए' के तहत कोई अपराध नहीं बनता है, क्योंकि पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, जो कि यह दर्शाती हो कि अपीलकर्ताओं ने मृतका के साथ कोई क्रूरता की थी। पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य के अनुसार, दहेज की मांग के बारे में कोई सकारात्मक और ठोस सबूत नहीं हैं और दहेज की मांग और उत्पीड़न के बीच संबंध स्थापित नहीं किया जा सका है।

35. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य की विस्तृत परीक्षण और जांच पर, इस न्यायालय का यह विचार है कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थियों द्वारा कथित अपराध को साबित करने के संबंध में युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है और अपीलार्थी संदेह के लाभ के हकदार हैं।

36. परिणामस्वरूप, यह न्यायालय अपीलार्थियों के मामले को स्वीकार करता है, तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है।

37. विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रूद्रप्रयाग द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.03.2005 ''राज्य बनाम बलभद्र सिंह और श्रीमती शशि देवी'' सेशन ट्रायल संख्या–05/2005 को अपास्त किया जाता है। अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा–304'बी' और 498'ए' के तहत आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। उनकी जमानत निरस्त की जाती है और जमानतियों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है।

38. अपीलार्थी, बलभद्र सिंह और श्रीमती शशि देवी को निर्देश दिया जाता है कि वे इस फैसले की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा–437'ए' का अनुपालन संबंधित न्यायालय में पेश होकर करें और एक व्यक्तिगत बंधपत्र और दो समान धनराशि के विश्वसनीय जमानतीयों, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए, जो छः महीने की अवधि के लिए लागू होंगे, का निष्पादन करें।

आलोक कुमार वर्मा, जे.
23.02.2022